REGD. NO. D.L.-33004/97



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 220] No. 220] नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 1997 /ज्येष्ठ 12, 1919 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 1997/JYAISTHA 12, 1919

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 1997

सा.का.नि. 299 (अ).—विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए कितपय प्रारूप नियम, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड ((i), तारीख 21 जून, 1996 के भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 250 (अ), तारीख 20 जून, 1996 में प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र जनता को 5 जुलाई, 1996 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) संशोधन नियम, 1997 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

- 2. विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - (ङ) ''उपाध्यक्ष'' से इन नियमों के अधीन नियुक्त या निर्वाचित उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(4) यदि परिषद् का अध्यक्ष कोई सरकारी पदधारी है, तो परिषद् का उपाध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा जो अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष से अनाधिक उतनी अविध तक पद धारण करेगा जितनी केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की

''परन्तु कोई भो ऐसा व्यक्ति जो परिषद् का सदस्य नहीं रह गया है, उपाध्यक्ष का पद धारण नहीं करेगा।''

- (5) उपाध्यक्ष, सम्बद्ध परिषद् के अव्यक्ष को सम्बोधित अपने लेख द्वारा और उसकी एक प्रति सदस्य-सचिव को भेज कर,अपना पद त्याग सकेगा।
- (6) उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपाध्यक्ष के पदत्याग से हुई रिक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् के किसी अन्य सदस्य की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा और इस प्रकार नियुक्त उपाध्यक्ष, उस उपाध्यक्ष की, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है, की शेष पदावधि तक पद धारण करेगा।''
- 4. उक्त नियमों के नियम 12 में,—
 - (क) उपनियम (1) में, ''अध्यक्ष'' शब्द के पश्चात् ''या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष'' शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ख) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - ''(3)'' ऐसे किसी कार्य पर जो सूची में नहीं है, अध्यक्ष के अथवा जहां उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता कर रहा है वहां उपाध्यक्ष के अनुमोदन के बिना विचार नहीं किया जाएगा।''
- 5. उक्त नियमों के नियम 13 में,—
 - (क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - ''(1) परिषद् की बैठक को अध्यक्षता अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा तथा जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों वहां उपस्थित सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष निर्वाचित कर लेंगे'';
 - (ख) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - ''(4) परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि परिषद् द्वारा विनिश्चय किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हैं, तो अध्यक्ष का या यदि उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता कर रहा है तो, यथास्थिति, उपाध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य का निर्णायक मत होगा।''
- उक्त नियमों के नियम 15 में, उपनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—
 - ''(1) परिषद् के सभी कार्य और कार्यवाहियां जब वे अध्यक्ष द्वारा या अध्यक्ष के अनुमोदन से उपाध्यक्ष या सदस्य-सचिव द्वारा पृष्ठांकित की गई हों तो वे सम्बद्ध परिषद् की सही कार्यवाहियां समझी जाएंगी ।
 - (2) अध्यक्ष या अध्यक्ष के अनुमोदन से उपाध्यक्ष या सदस्य-सचिव, ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिषद् के विनिश्चयों के अनुसार उन्हें समनुदेशित किए गए हैं ।''

[फा. सं. 1 (1)/96-आई. पी.] अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम अधिसूचना सं. का.नि.आ. 359, तारीख 19 फरवरी ,1953 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, तारीख 19 सितम्बर, 1953 पृष्ठ 467 से 469 पर प्रकाशित किए गए थे । उसके तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

- (i) अधितूचना सं. का.आ. 42 (अ), तारीख 21 जनवरी, 1981 देखिए भारत सरकार का राजपत्र, असाधारण, 1981 भाग 2, खंड 3 (ii), तारीख 21 जनवरी, 1981, पृष्ठ 94 और 95 ।
- (ii) अधिसूचना सं. का.आ. 161 (अ), तारीख 27 मार्च, 1982 देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, 1982 भाग 2, खंड 3 (ii), तारीख 22 मार्च, 1982, पृष्ठ 307 और 308 ।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION -

New Delhi, the 28th May, 1997

GSR 299 (E) —Whereas certain draft rules further to amend the Development Councils (Procedural) Rules. 1952, were published as required by sub-section (i) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act. 1951 (65 of 1951), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 21st June, 1996 under the Notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) No. GSR 250 (E), dated 20th June, 1996, inviting objections or suggestions from all person likely to be affected thereby before the expiry of 60 days from the date of publication of the said Notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to public on the 5th July, 1996;

And whereas no objections or suggestions have been received by the Central Government on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, namely:—

(1) These rules may be called the Development Councils (Procedural) Amendment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In rule 2 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952 (hereinafter referred to as the said rules), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely,:—

"(e) "Vice-Chairman" means a Vice-Chairman appointed or elected under these rules.

In rule 4 of the said rules, after sub-rule (3), the following sub-sub-rules shall be inserted, namely:

- (4) "If the Chairman of a Council is a Government official, a Vice-Chairman may be appointed to that Council by the Central Government from amongst the members of the Council who shall hold office for a period, not exceeding 2 years, as may be specified by the Central Government, from the date of his appointment:

 Provided that no person shall hold office of Vice-Chairman after he has ceased to be Member of the Council.
- (5) The Vice-Chairman may resign his office by communication in writing and addressed to the Chairman of the Council concerned with a copy to the the Member-Secretary thereof.
- (6) Subject to the provisions of sub-rule (4), the vacancy caused by the resignation of the Vice-chairman may be filled by the Central Government by appointment of another Member of the council as Vice-Chairman and the Vice-Chairman so appointed shall hold office for the remaining period of the term of the Vice-Chairman in whose place he is so appointed."

In rule 12 of the said rules,---

- (a) In sub-rule (1), after the word "Chairman", the words "or in the absence of the Chairman, the Vice-Chairman", shall be substituted;
- (b) In sub-rule (3), the following shall be added at the end, namely: —
 "Or where the Vice-Chairman is presiding over the meeting, of the Vice-Chairman."
 In rule 13 of the said rules,—
- (a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-
 - "(1) The Chairman, or in his absence the Vice-Chairman, shall preside over the meeting of a Council and where both the Chairman and Vice-Chairman are absent the Members present shall elect a Chairman from amongst themselves";
- (b) In sub-rule (4), for the words "or the Members" the words "or if the Vice-Chairman" or any other Member is presiding, the Vice-Chairman or such Member, as the case may be" shall be substituted.

In rule 15 of the said rules, for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

- (1) "All acts and proceedings of a Council when endorsed by the Chairman or by the Vice-Chairman or Member-Secretary with the approval of Chairman shall be deemed to be true proceedings of the Council.
- (2) The Chairman or the Vice-Chairman or the Member-Secretary with the approval of the Chairman shall perform such of the functions as assigned to them on behalf of the Council in accordance with its decisions."

[File No. 1 (1) /96-I.P.] ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

- ote: Principal rules published vide notification number, S.R.O. 359 dated the 19th Feb. 1953 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, dated the 19th Sept. 1953, pages 467-469, subsequently amended by—
 - (i) Notification number S.O. 42 (E) dated the 21st Jan., 1981, Gazette of India, Extraordinary, 1981 Part II, Section 3 (ii) dated the 21st Jan, 1981 pages 94-95.
 - (ii) Notification number S.O. 161 (E) dated the 22nd March, 1982, Gazette of India, Extraordinary, 1982 Part-II, Section 3 (ii), dated the 22nd March, 1982, pages 307-308.